भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 523

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 का कार्यान्वयन

523. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर प्रतिदिन 20 किमी तक की यात्रा करने वाले निजी वाहनों को टोल-फ्री मार्ग की अनुमति प्रदान करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2024 के कार्यान्वयन की समय-सीमा और प्रचालनात्मक पहलू क्या हैं;

(ख) ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित पथकर संग्रहण प्रणाली को मौजूदा फास्टैग प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और संक्रमण के दौरान तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जाएगा;

(ग) वैध जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट के बिना विशेष लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाने से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इस विनियमन को किस प्रकार लागू किया जाएगा तथा वाहन मालिकों को इसकी जानकारी कैसे दी जाएगी;

(घ) निजी वाहन मालिकों पर टोल-मुक्त मार्ग से अपेक्षित वित्तीय बोझ कितना होगा और सरकार भीड़-भाड़ को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस प्रकार करेगी; और

(ङ.) इस नीति का टोल राजस्व, सड़क अनुरक्षण बजट और टोल दरों को समायोजित करने की योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी निगरानी किस प्रकार की जाएगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) सरकार ने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में उपलब्ध प्रौद्योगिकी आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली का उपयोग करके निर्बाध टोलिंग का कार्यान्वयन शुरू किया है।

(ग) वर्तमान में, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोलिंग सिस्टम राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी चालू नहीं है। हालाँकि, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के नियम 6 के उप-नियम (3) के तीसरे परंतुक में संशोधन [सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 9 सितंबर 2024 द्वारा संशोधित] ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू) के माध्यम से जीएनएसएस आधारित टोलिंग सिस्टम को सक्षम

करने के लिए किया गया है और जिन वाहनों में वैध, कार्यात्मक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन-बोर्ड यूनिट नहीं लगी है, उनके प्रयोक्ताओं को उस शुल्क प्लाजा पर उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि जीएनएसएस आधारित टोलिंग चालू हो जाती है।

(घ) और (ड़) ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली में, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 और तत्संबंधी संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर वाहन द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। जबकि, वर्तमान में, शुल्क प्लाजा पर संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभावित लंबाई के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क एकत्रित किया जाता है।

*****